उत्तर प्रदेश सरकार
राज्य योजना आयोग अनुभाग–2
संख्याः 9/7/35–आ–2/99–55
लखनऊ : दिनांक 28 सितम्बर, 2012

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32, सन् 1999) की धारा 19 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति नियमावली, 2008 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2012

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2012 कही जायेगी ।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

अनुसूची का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति नियमावली, 2008 में, अनुसूची में, –

(क) नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये क्रमांक–25,48,50,71 एवं 72 की प्रविष्टियों के स्थान पर स्तम्भ–दो में प्रत्येक के समक्ष दी गई प्रविष्टियां स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

स्तम्भ–एक *विद्यमान प्रविष्टियॉं*							स्तम्भ–दो *एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टियॉं*						
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
25	गाजियाबाद	28	3	4	7	35	25	गाजियाबाद	12	3		3	15
48	ज्योतिबा फूले नगर	20	3	2	5	25	48	अमरोहा	20	3	2	5	25
50	रमाबाई नगर	20	3	2	5	25	50	कानपुर देहात	20	3	2	5	25
71	कांशीराम नगर	16	3	1	4	20	71	कासगंज	16	3	1	4	20
72	छत्रपति शाहूजी महाराज नगर	28	3	4	7	35	72	अमेठी	28	3	4	7	35

(ख) कमांक–72 की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां स्तम्भवार बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:–

1	2	3	4	5	6	7
73	सम्भल	24	3	3	6	30
74	शामली	12	3		3	15
75	हापुड़	12	3		3	15

आज्ञा से,

संजीव नायर

संजीव नायर
प्रमुख सचिव।